Sanjay Kumar, IAS
Secretary, Health
-cum-
Executive Director

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

गौरवपूर्ण 100 वर्ष

संचिका संख्या :– SHSB/G.A./548/2011
आदेश संख्या :– पटना, दिनांक :– ....

आदेश

राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5, 6 एवं 7 का प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का चयन खुली निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर किया गया तथा इस कार्य हेतु गैर सरकारी संस्था अरूणाभाश्री सोसाईटी, हाउस सं0–M-19, रोड नम्बर–02, श्रीकृष्णानगर, पटना का चयन भी प्राप्त निविदा के आधार पर किया गया तथा इस सोसाईटी को तीन जिले यथा– नवादा, रोहतास जिले का सासाराम अनुमंडल तथा भोजपुर जिले का आरा सदर अनुमंडल में कुल चयनित आशाओं को मॉड्यूल 5, 6 एवं 7 का प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपते हुये इनके साथ दिनांक 29 फरवरी, 2012 को एक त्रिपक्षीय एकरारनामा (Tripartite Agreement) हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षरित अनुबंध की कंडिका 5 एजेंसी के दायित्व एवं कर्तव्य को निरूपित करता है, जिसके अनुसार एजेंसी को जिला स्वास्थ्य समिति तथा आशा रिसोर्स सेन्टर के सहयोग से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण के लिये ट्रेनिंग कैलेन्डर तैयार करने का प्रावधान है । कंडिका 5.2 के अनुसार एजेंसी को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के चार सप्ताह पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति तथा आशा रिसोर्स सेन्टर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आशाओं तथा आशा फैसिलिटेटर की सूची प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है तथा कंडिका 5.5 में गुणवत्तायुक्त आवासीय प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है । अनुबंध की कंडिका 5.7 में वित्तीय तथा भौतिक प्रतिवेदन को ससमय समर्पित करने का प्रावधान है । कंडिका 8 में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वित्तीय एवं अन्य मापदण्डों को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा कंडिका 9.2 में प्रशिक्षण के किसी भी भाग को आउटसोर्स किया जाना प्रतिबंधित किया गया है ।

प्रशिक्षण दिये जाने के क्रम में नवादा जिले के लिये नामित गैर सरकारी संस्था, अरूणाभाश्री सोसाईटी के द्वारा अनुबंध की कंडिका 5 तथा इसकी विभिन्न उपकंडिकाओं की अवहेलना तथा प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों को समुचित सेवा प्रदान नहीं किये जाने के कारण सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के पत्र संख्या 60/ए0आर0सी0, दिनांक 17.01.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

उल्लेखनीय है कि सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के द्वारा पूछा गया यह स्पष्टीकरण प्रशिक्षण स्थल की जॉच जिला स्वास्थ्य समिति में जिला लेखा प्रबंधक तथा सलाहकार, फ्लुरोसिस के रूप में कार्यरत कर्मियों के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आधारित था, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि प्रशिक्षणार्थियों को नास्ता तथा खाने की व्यवस्था मानक नियमों के अनुसार नहीं किया गया है । पूर्व में भी गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दिये जा रहे भोजन में कीड़ा पाये जाने के कारण सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के ज्ञापांक 3632, दिनांक 24.11.2012 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका जवाब एजेंसी के द्वारा नहीं दिया गया था ।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014, Tele:0612-2281545,2290340, Fax: 0612-2290322
Email: ed@statehealthsocietybihar.org, ed_shsbihar@yahoo.co.in, Web site- www.statehealthsocietybihar.org

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के कार्यालय ज्ञापांक 1394, दिनांक 10.10.2012, ज्ञापांक 1524, दिनांक 01.12.2012 एवं ज्ञापांक 1609, दिनांक 01.01.2013 के द्वारा गैर सरकारी संस्था को प्रशिक्षण स्थल एवं बैचों की संख्या में वृद्धि हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु इस संबंध में भी उनके द्वारा कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी, जो उनके गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है तथा अनुबंध की कंडिका 5 की स्पष्ट अवहेलना है । इसी प्रकार सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के कार्यालय ज्ञापांक 1541, दिनांक 06.12.2012 के द्वारा आशाओं एवं आशा फैसिलिटेटर को TA/DA का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इस संबंध में भी उनके द्वारा कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी तथा अनुबंध की कंडिका 5.7 की अवहेलना की गई । साथ ही दिये गये निदेश के आलोक में गैर सरकारी संगठन, अरूणाभाश्री सोसाईटी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर भी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, नवादा को समर्पित नहीं किया गया ।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के ज्ञापांक 60, दिनांक 17.01.2013 के द्वारा सोसाईटी को ऊपर अंकित पत्रों से दिये गये सभी निदेशों का अनुपालन करते हुये उन्हें तीन दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से सूचित करने का निदेश दिया गया । साथ ही उन्हें 48 घंटे के अन्दर अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करने का निदेश दिया गया ।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–नवादा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी–नवादा तथा जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी–नवादा से दिनांक 18.01.2013 को मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी के द्वारा संचालित आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर के प्रशिक्षण स्थल का जॉच कराया गया तथा अपने पत्र संख्या 99/ARC, दिनांक 04.02.2013 के द्वारा इसे राज्य स्वास्थ्य समिति में भेजा गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 21 बैचों में पूर्ण किया जा चुका था, किन्तु उनके TA/DA तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जॉच के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण दिये जाने वाले कमरों में ही रात्रि विश्राम के लिये नीचे फर्स पर दरी–जाजीम बिछा कर सोने की व्यवस्था की गयी थी । मांगे जाने पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा कोई भी अभिलेख पूर्णरूपेण समिति के समक्ष उपस्थापित नहीं किया जा सका । इस प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि TA/DA का भुगतान सभी बैचों को नहीं किया जाना तथा वित्तीय प्रबंधन का अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितता को स्थापित करता है । इस प्रकार एजेंसी के द्वारा अनुबंध की कंडिका 5.5 तथा कंडिका 5.7 की स्पष्ट अवहेलना की गई ।

जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के कार्यालय ज्ञापांक 1541, दिनांक 06.12.2012 तथा ज्ञापांक 1606, दिनांक 01.01.2013 के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटरों के TA/DA का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर करने का निदेश दिया गया था, लेकिन इस संबंध में भी एजेंसी के द्वारा कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी । एजेंसी के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण प्रगति प्रतिवेदन में कुल मो0 4,82,608/– रूपये के खर्च की विवरणी दिखायी गयी, जबकि प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार आशा को प्रशिक्षण हेतु दिये जाने वाले भत्ता का भुगतान नहीं होना

परिलक्षित हुआ, जबकि एजेंसी को कुल परियोजना व्यय का 25% अर्थात् 22,63,625/– रूपये अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा चुका था, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को ससमय TA/DA का भुगतान प्राप्त हो सके तथा प्रशिक्षण के दौरान उनके भोजन, आवासन की उचित व्यवस्था की जा सके । इस प्रकार एजेंसी के द्वारा अनुबंध की कंडिका 5.5 तथा 5.7 की स्पष्ट अवहेलना की गई ।

गैर सरकारी संगठन, अरूणाभाश्री सोसाईटी को राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 9593, दिनांक 22.11.2012 के द्वारा बैंक गारंटी जमा करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में उनके द्वारा विलम्ब से बैंक गारंटी जमा कराया गया, साथ ही दिनांक 18.12.2012 को बैठक कर कमियों को दूर करने का निदेश भी दिया गया था, लेकिन प्राप्त प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि प्रशिक्षण स्थल पर स्थिति पूर्ववत् बनी हुई है तथा सोसाईटी के द्वारा प्रशिक्षण कार्य में उपेक्षा निरंतर बनी हुई है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 10435, दिनांक 19.12.2012 के द्वारा एजेंसी मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेंसी के द्वारा न तो निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपना पक्ष रखा गया, न ही संतोषप्रद प्रत्युत्तर ही दिया जा सका ।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के पत्र संख्या 392/ए0आर0सी0, दिनांक 03.04.2013 के द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी को कुल प्रयोजन राशि का 25% अर्थात् 22,63,625/– रूपये अग्रिम स्वरूप उपलब्ध कराया गया था तथा उनके कार्यालय ज्ञापांक 1541, दिनांक 06.12.2012 एवं स्मार–पत्र संख्या 1606, दिनांक 01.01.2013 के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को TA तथा प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान कर इसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । साथ ही उनके कार्यालय के ज्ञापांक 1474, दिनांक 08.11.2012 एवं स्मार–पत्र संख्या 187, दिनांक 26.02.2013 एवं पत्र संख्या 382, दिनांक 02.04.2013 के द्वारा व्यय विवरणी तथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र, सभी मूल प्रमाणकों के साथ कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु एजेंसी के द्वारा अभी तक व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सिविल सर्जन कार्यालय, नवादा को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उनके द्वारा अनुबंध की कंडिका 5.7 की स्पष्ट अवहेलना की गई ।

नवादा जिले में चल रहे आशा प्रशिक्षण कार्य की जॉच हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 3349, दिनांक 05.04.2013 के द्वारा जिले के लिये नामित नोडल पदाधिकारी, डॉ0 आबिद हुसैन, संयुक्त निदेशक को प्राप्त सभी त्रुटियों पर जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया । डॉ0 आबिद हुसैन, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्र संख्या–21/सं0नि0को0, दिनांक 14.05.2013 के द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जॉच के क्रम में जॉच पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण पा रहीं आशाओं का बयान प्राप्त किया गया । उपस्थित सभी आशाओं के द्वारा एक स्वर में यह कहा गया कि एजेंसी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा खाना निम्न स्तर का है । जॉच में यह पाया गया कि जिस कमरे में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की गयी है तथा बिजली की व्यवस्था खराब है । खाने की व्यवस्था एजेंसी के द्वारा आउटसोर्स

करते हुये पेटी कान्टैक्टर को दे दिया गया है, जिसके कारण भोजन की गुणवत्ता में अत्यधिक कमी पायी गयी । जॉच पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को TA/DA का भुगतान नहीं किया जाना प्रतिवेदित किया गया, साथ ही भुगतान की गयी राशि में कटौती किये जाने की भी सूचना दी गयी । इस प्रकार एजेंसी के द्वारा अनुबंध की कंडिका 9.2 का भी उल्लंघन किया गया ।

एजेंसी के द्वारा अपना एकाउंट पटना में रखे जाने के कारण नवादा से भुगतान की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी । जॉच प्रतिवेदन में जॉच पदाधिकारी के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी अरूणाभाश्री सोसाईटी के द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण प्रशिक्षण में कई प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हुई । उनके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के साथ समन्वय नहीं स्थापित किया गया, जिसके कारण इन त्रुटियों का ससमय निराकरण नहीं हो सका ।

एजेंसी के संबंध में आरा सदर अनुमंडल तथा रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल में कराये जा रहे प्रशिक्षण कार्यों को भी संबंधित सिविल सर्जनों के द्वारा संतोषजनक प्रतिवेदित नहीं किया गया तथा आशा प्रशिक्षण से संबंधित शेष कार्यों को जिले में कार्यरत अन्य संस्थाओं से कराये जाने की अनुशंसा की गयी ।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक 218, दिनांक 21.02.2013 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि एजेंसी मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी के द्वारा अपने व्यय प्रतिवेदन में 24,500/– रूपये का भुगतान दिखाया गया है, जबकि उनके विपत्र के सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि एजेंसी के द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस पत्र के माध्यम से 24,500/– रूपये का गलत भुगतान तथा 10,87,240/– रूपये के व्यय के लिये समर्पित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिये सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर के पत्र संख्या 218, दिनांक 21.02.2013 के द्वारा एजेंसी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया तथा राज्य स्वास्थ्य समिति को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

प्राप्त सभी आरोपों के आलोक में एजेंसी से राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 1513, दिनांक 22.02.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेंसी के द्वारा अपने पत्र संख्या आशा/521/13, दिनांक 03.03.2013 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं था । समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा भोजन की गुणवत्ता निम्न होने के संदर्भ में तथा भोजन की व्यवस्था को आउटसोर्स कर दिये जाने के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया । प्रशिक्षणार्थियों को ससमय TA/DA भुगतान किये जाने के बिन्दु पर भी एजेंसी के द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जा सका । एजेंसी का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण इसे राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में एजेंसी मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी, हाउस सं0–M-19, रोड नम्बर–02, श्रीकृष्णानगर, पटना के साथ किये गये त्रिपक्षीय एकरारनामा (Tripartite Agreement) की कंडिका 5, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 8 तथा 9.2 की अवहेलना के आरोप में एजेंसी के साथ किये गये अनुबंध को रद्द करते हुये एजेंसी को तात्कालीक प्रभाव से अगले 5 वर्षो के लिये काली सूची में दर्ज किया

जाता है । साथ ही उन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समितियों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा अन्य संस्थानों के द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगायी जाती है । सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति–नवादा, भोजपुर तथा रोहतास को निदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी के द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी को जब्त करना सुनिश्चित करें तथा दिये गये अग्रिम का समायोजन जब्त की गयी बैंक गारंटी से करना सुनिश्चित करें ।

ह0 / –
(संजय कुमार)

ज्ञापांक : 5225 **पटना, दिनांक :** 02/07/13

प्रतिलिपि :–

- विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित ।
- प्रधान सचिव, स्वास्थ–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित ।
- सभी प्रधान सचिव / सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रशासी पदाधिकारी / अपर निदेशक / वरीय उपसमाहर्ता / उप निदेशक / लेखा प्रबंधक / राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- श्री अरविन्द कुमार, सिस्टम एनालिस्ट–कम–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- मेसर्स मेसर्स अरूणाभाश्री सोसाईटी, हाउस सं0–M-19, रोड नम्बर–02, श्रीकृष्णानगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/7/2013

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014, Tele:0612-2281545,2290340, Fax: 0612-2290322
Email: ed@statehealthsocietybihar.org, ed_shsbihar@yahoo.co.in, Web site- www.statehealthsocietybihar.org